



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 7266

दिनांक 03.06.2022

आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 08.04.2022 के द्वारा प्रसूति एवं स्त्री रोग विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत प्रसूति एवं स्त्री रोग विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है :-

PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Meeta Gupta	General	31.10.1969
2.	Dr. Monika Parmar	General	14.01.1983

ASSOCIATE PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Kamala Verma	SC	06.12.1979
2.	Dr. Nooren Mirza	General	20.10.1980


ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Manisha Bahad	General	09.01.1987
2.	Dr. Balgopal Singh Bhati	General	21.09.1984
3.	Dr. Mamta Gangwal	SC	10.02.1989
4.	Dr. Neha Garg	General	02.10.1986
5.	Dr. Raj Kamal	General	01.07.1986
6.	Dr. Pooja Gahlot	SC	17.01.1989
7.	Dr. Gunvanti Meena	ST	14.06.1985



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)
(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

Sr. No.	Name	Category	DOB
8.	Dr. Arihant Tater	General	29.09.1988
9.	Dr. Sawai Khatri	General	25.05.1984
10.	Dr. Kheta Ram Soni	OBC	01.10.1979


निदेशक


राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 7266

दिनांक 03.06.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरु/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।


अति. निदेशक (प्रशा.)

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर